

CENTRAL EXAMINATION COMMITTEE, BIHAR

HIGH COURT GENERAL RULES AND CIRCULAR ORDER—FOR THE OFFICERS
OF JUDICIAL SERVICES

Time—Three hours.

Full marks—100

Pass marks—60

Answer all questions. Only **one** answer among alternatives of each question is correct. Each question carries **one** mark. No negative marks.

सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक उत्तर के लिये 1 अंक है। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प हैं। गलत उत्तर के लिये नकारात्मक अंक नहीं है।

1. The Court hours shall ordinarily be from—

- (a) 10.00 A.M. to 4.30 P.M. (b) 11.00 A.M. to 4.00 P.M.
(c) 10.30 A.M. to 4.30 P.M. (d) 10.30 A.M. to 4.00 P.M.

सामान्यतः न्यायालय का समय होगा—

- (क) 10 बजे से 4.30 शाम (ख) 11 बजे से 4.00 शाम
(ग) 10.30 बजे से 4.30 शाम (घ) 10.30 बजे से 4 बजे शाम

2. At the close of each working day a list of cases fixed for the next working day signed by— shall be posted in every Court house.

- (a) Court clerk (b) Office clerk
(c) Presiding Magistrate (d) Not required

प्रत्येक न्यायालय कार्य दिवस समाप्त होने पर अगले दिवस पर तिथि निर्धारित सूची न्यायालय के दृश्य स्थान पर लगायी जायेगी जिसपर हस्ताक्षर होगा—

- (क) न्यायालय लिपिक (ख) कार्यालय लिपिक
(ग) प्राधिकृत मजिस्ट्रेट (घ) आवश्यकता नहीं

3. The works of Magistrate are required to maintain a watchful and intelligent control by--

- (a) District Judge (b) C. J. M.
(c) District Magistrate (d) High Court

न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यों की देख-भाल एवं सुबोध नियंत्रण किया जायेगा—

- (क) जिला न्यायाधीश (ख) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
(ग) जिलाधिकारी (घ) उच्च न्यायालय

4. Every summon issued under Cr. P.C. shall not require--

- (a) In Duplicate (b) Sealed
 (c) Signed by Presiding officer (d) Signed by Peskar

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जारी सम्मन पर आवश्यकता नहीं है—

- (क) दो प्रतियों में (ख) मोहर
 (ग) प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर (घ) पेशकार का हस्ताक्षर

5. For presence of an officer in the Secretariat of Lok Sabha/Raj Sabha, Vidhan Sabha/Parishad, in Court for being Evidence--A letter of request in Form--

- (a) M-12 (b) M-13A
 (c) CSNo-24 (d) CSNo-25

लोक सभा/राज्य सभा, विधान-सभा या विधान परिषद् सचिवालय के किसी पदाधिकारी की साक्ष्य हेतु उपस्थिति हेतु प्रार्थना पत्र जारी होगा जो फॉर्म—

- (क) एम-12 (ख) एम-13
 (ग) सी०एस० नं०-24 (घ) सी०एस० नं०-25

6. Provision for confession of accused is mention in chapter of Criminal Court Rules--

- (a) II (b) IV
 (c) XVII (d) III

अभियुक्त के संस्योक्त सम्बन्धी प्रावधान क्रिमिनल कोर्ट रूल्स के किस अध्याय में है—

- (क) II (ख) IV
 (ग) XVII (घ) III

7. Magistrate making a commitment to the Court of Sessions, shall notify in Form no.--

- (a) R-23 (b) M-7
 (c) M-2 (d) R-30

मजिस्ट्रेट मामले को विचारण हेतु सत्र न्यायालय में कमीट करने कि सूचना फॉर्म नं० में करेगा—

- (क) आर-23 (ख) एम-7
 (ग) एम-2 (घ) आर-30

8. For examination of accused person u/s 164 Cr.P.C. not required--

- (a) To warn the accused (b) Police should not present
 (c) Remand to Police Custody
 (d) Certificate required by Sec. 164 Cr.P.C. in his own hand

धारा 164 के अन्तर्गत अभियुक्त का कथन/परीक्षण के समय आवश्यक नहीं है—

- (क) अभियुक्त को सचेत करने की (ख) पुलिस की उपस्थिति न हो
 (ग) पुलिस अभिरक्षा में रिमाण्ड करने
 (घ) 164 के अन्तर्गत आवश्यक पृष्ठांकन अपने हस्त लेख में

9. On received of complaint should be entered in the register kept in Form no.--

(a) R-1 (b) M-2

(c) M-13 (b) R-23

परिवाद-पत्र प्राप्त होने पर उसका इन्द्राज रजिस्टर के फार्म में करेगा—

(क) आर-1 (ख) एम-2

(ग) एम-13 (घ) आर-23

10. Magistrate shall, in examination of witnesses/accused person, record in his own hand writing--

(a) Deposition (b) Statement

(c) Name, Father's name, Age (b) All above

साक्षी और अभियुक्त का परीक्षण करने समय मजिस्ट्रेट स्वयं हस्तलेख में लिखेगा—

(क) साक्ष्य (ख) कथन

(ग) अभियुक्त का नाम, उम्र, पिता का नाम (घ) उपरोक्त सभी

11. Magistrate, when committing a prisoner to Jail, shall attach to the warrant of commitment a note in Criminal Process Form No.--

(a) M-23 (b) M-64

(c) M-44 (d) M-17

दोषसिद्धी को जेल में भेजते समय, मजिस्ट्रेट वारण्ट ऑफ कमिटमेंट तथा नोट क्रिमिनल प्रोसेस फार्म संलग्न करेगा—

(क) एम-23 (ख) एम-64

(ग) एम-44 (घ) एम-17

12. A claim is made to the property attached u/s 421 Cr.P.C., the ownership of such property must be determined by--

(a) Session Court (b) C.J.M.

(c) High Court

(d) Magistrate who passed order for attachment

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 के अन्तर्गत कुर्क की गयी सम्पत्ति के स्वामित्व का दावा की सुनवायी--

(क) सत्र न्यायालय द्वारा (ख) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी

(ग) उच्च न्यायालय

(घ) मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके द्वारा सम्पत्ति कुर्की आदेश जारी किया हो

13. The Magistrate of district in respect of his Judicial Functions is to be subordinate to the--

(a) C.J.M. (b) Session Judge

(c) High Court (d) Sub Judge, Civil Judge (S.D.)

जिले के सभी मजिस्ट्रेट अपने न्यायिक कार्य के लिये अधीनस्थ रहेंगे अपने—

- (क) सी०जे०एम० (ख) सत्र न्यायाधीश
 (ग) उच्च न्यायालय (घ) सिविल जज (सि०डी०) सब जज

14. When Judicial Officer seen reason to doubt the genuiness on of a stamp filed before him, the stamp should be forwarded to--

- (a) High Court (b) C.J.M.
 (c) Collector (d) Session Judge

जब न्यायिक अधिकारी के समक्ष दाखिल स्टाम्प के संबंध में संदेह हो/दुविधा हो, तो वह उस स्टाम्प को जाँच हेतु भेजेगा—

- (क) उच्च न्यायालय (ख) सी०जे०एम०
 (ग) कलेक्टर (घ) सत्र न्यायाधीश

15. The following paper shall be included in file A, in criminal proceeding--

- (a) Order Sheet (b) Statement of accused
 (c) Deposition (d) All above

आपराधिक विचारण में निम्न दस्तावेज फाइल A में सम्मिलित किये जायेंगे—

- (क) आदेश फलक (ख) अभियुक्त का कथन
 (ग) साक्ष्य कथन (घ) उक्त सभी

16. Documents admitted as Evidence of behalf of accused shall mark--

- (a) Ex 1,2,3 (b) Ex A_a, B_b, C_c
 (c) Ex A, B, C (d) Ex I, II, III

अभियुक्त की तरफ से दाखिल दस्तावेज जो साक्ष्य में ग्रहण किये गये हों वो प्रदर्श होंगे—

- (क) 1, 2, 3 (ख) ए, बी, सी
 (ग) ए, बी, सी (घ) I, II, III क्रमशः

17. During pendency of Appeal, the article which has been admitted--

- (a) Returned (b) Destroyed
 (c) Neither returned nor destroyed (d) Discretion of Court

अपील के विचाराधीन रहते हुये वस्तु जो साक्ष्य में स्वीकृत किया गया हो—

- (क) वापस कर दी जायेगी (ख) नष्ट कर दी जायेगी
 (ग) न तो वापस होगी न नष्ट की जायेगी (घ) न्यायालय की स्वेच्छा पर निर्भर

18. Articles connected with offence is produced in a Criminal Court and on proved marked as--

- (a) Ex I, II, III (b) Ex A, B, C
 (c) Ex 1, 2, 3 (d) None of above

अपराध से संबंधित वस्तु Articles जो आपराधिक विचारण में प्रस्तुत हो और साबित हो जायें उस पर प्रदर्श होगा—

- (क) I, II, III (ख) A, B, C
 (ग) 1, 2, 3 (घ) उपरोक्त कोई नहीं

2 वर्षों तक फाइल संरक्षित रहेगी—

- (क) दं०प्र०सं० के अंतर्गत कब्जा सम्बंधी
- (ख) मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद-पत्र में पारित आदेश अंतर्गत 203 दं०प्र०सं०
- (ग) मजिस्ट्रेट द्वारा जमानतीय अपराध की फाइल A और B
- (घ) मजिस्ट्रेट द्वारा उन्मोचन आदेश अन्तर्गत धारा 118 या 245 या 249 दं०प्र०सं०

24. Monthly statement of pending cases should be dispatched by Judicial Magistrate to C.J.M.--

- (a) On or before the 3rd of month next succeeding
- (b) Before 5th of next month (c) 15th of next month
- (d) 10th of month next succeeding

विचाराधीन मामलों से सम्बन्धित मासिक स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट द्वारा सी०जे०एम० को भेज देना होगा आने वाले माह की—

- (क) 3 तारीख तक (ख) 5 तारीख तक
- (ग) 15 तारीख तक (घ) 10 तारीख तक

25. Cases should be treated as new cases--

- (a) Finally remanded
- (b) Cases of Escaped prisoners on their recapture
- (c) Cases of lunatics who found to be capable of making defence
- (d) All above

नया मामला माना जायेगा—

- (क) अन्तिम रूप से रिमाण्ड (ख) फरार अभियुक्त के वापस आने पर
- (ग) मानसिक विकल्प के मामले जिनमें अभियुक्त बचाव देने में सक्षम हो गया हो
- (घ) उपरोक्त सभी

26. Plaint may be presented--

- (a) Court hour (b) Anytime
- (c) Day time (d) From 7 A.M. to 7 P.M.

वाद-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है—

- (क) न्यायालय समय में (ख) किसी समय
- (ग) केवल दिन के समय (घ) सुबह 7 बजे से 7 बजे शाम तक

27. A time for the presentation on applications/petition etc. as can be presented to the Presiding Officer only by--

- (a) High Court (b) C.J.M.
- (c) Distt. Judge (d) Distt. Magistrate

किसी प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र/वाद-पत्र व अन्य दाखिल/प्रस्तुत करने का समय निर्धारित किया जा सकेगा—

- (क) उच्च न्यायालय द्वारा (ख) सी०जे०एम०
- (ग) जिला जज (घ) जिला पदाधिकारी द्वारा

28. Govt. of Bihar have declared the following as Court language in Bihar--

- (a) English (b) Bhojpuri
 (c) Hindi (Devanagri) (d) Mathley

बिहार सरकार द्वारा निम्न को कोर्ट भाषा घोषित किया गया है—

- (क) अंग्रेजी (ख) भोजपुरी
 (ग) हिन्दी (घ) मैथिली

29. Who is the Ex-officio-Commissioners of affidavits--

- (a) Nazir (b) Court Clerk
 (c) All Sarishtadars (d) None of above

शपथ-पत्र का Ex-officio-Commissioners कौन है—

- (क) नाज़िर (ख) कोर्ट लिपिक
 (ग) सभी सिस्टेदार (घ) उपरोक्त कोई नहीं

30. Provision for draw money deposited in Court and payable to applicant is mention under Rule--

- (a) 626 (b) 266
 (c) 662 (d) No such provision

न्यायालय में जमा राशि जो प्रार्थी को दी जानी हो उसको Draw का प्रावधान किस नियम में है—

- (क) 626 (ख) 266
 (ग) 662 (घ) कोई ऐसा प्रावधान नहीं

31. Payment of sums falling under Rule 607 be accepted--

- (a) Cash in Court (b) Cash in Treasury
 (c) Tendered with a Challan (d) All above

नियम 607 के अन्तर्गत आने वाले राशि स्वीकार की जायेगी—

- (क) न्यायालय में नगद द्वारा (ख) ट्रेजरी द्वारा जमा
 (ग) चालान द्वारा टेन्डर (घ) उपर्युक्त सभी

32. Subordinate Court should be dispatched Annual Statement on or before--

- (a) 20th day of new year (b) 30th day of new year
 (c) 15th day of new year (d) After one month of new year

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वार्षिक स्टेटमेंट जिला जज को यहाँ भेज देना होगा—

- (क) नये वर्ष के 20 तारीख तक (ख) नये वर्ष कि 30 तारीख तक
 (ग) नये वर्ष कि 15 तारीख तक (घ) नये वर्ष के एक माह बाद

33. Following Cases should be shown as "Uncontested"--

- (a) In rent case, question regarding the Award/amount of damage
 (b) Rate of interest
 (c) Question regarding payment by installment
 (d) Preliminary decrees made under provision or order XX Cr.P.C.

निम्न मामले "Uncontested" दिखाये जायेंगे—

- (क) किरायेदारों के मामलों में क्षति की राशि सम्बन्धी अवधि
- (ख) ब्याज दर सम्बन्धी आदेश (ग) किस्तों में भुगतान सम्बन्धी आदेश
- (घ) सी०पी०सी० के आदेश XX के अन्तर्गत पारित प्रारम्भिक डिक्री

34. In every process or order issued by a Judicial Official are required to mention--

- (a) Name of Distt. (b) Name of the Court
- (c) Name and powers of Officers (d) All above

न्यायिक पदाधिकारी द्वारा जारी प्रत्येक प्रोसेस या आदेश में उल्लिखित होना चाहिये—

- (क) जिला का नाम (ख) कोर्ट का नाम
- (ग) अधिकारी का नाम व शक्ति (घ) उपरोक्त सभी

35. With every plaint parties shall filed the necessary number of Printed Form--

- (a) Duly filled up (b) Date of appearance
- (c) Date of the process (d) All above

पक्षकारों को अपने वाद-पत्र के साथ आवश्यक संख्या में छपे हुये फार्म दाखिल करना होगा—

- (क) उचित रूप से भरा (ख) उपस्थिति की तिथि
- (ग) प्रोसेस जारी की तिथि (घ) उपरोक्त सभी

36. Process received in Office of the Court must be made over to the Nazir no case later than after their receipt--

- (a) One week (b) Two days
- (c) One month (d) No time limit

कार्यालय में प्रोसेस प्राप्त होने पर नाज़िर को दे दिया जाना चाहिये, प्राप्त होने के अधिकतम के अन्दर—

- (क) एक सप्ताह (ख) दो दिन
- (ग) एक माह (घ) कोई समय-सीमा नहीं

37. Date of hearing of cases ought to be fixed by--

- (a) Randomly (b) Automatically
- (c) Presiding Officer (d) Peskar

वादों की सुनवाई की तिथि निर्धारित की जायेंगी—

- (क) आकस्मिक (ख) आप से आप
- (ग) अधिकृत अधिकारी (घ) पेशकार द्वारा

38. Arguments should be heard after the evidence close--

- (a) Immediately (b) Next month
- (c) Fifteen days (d) Three months

पक्षकारों के साक्ष्य बन्द होने के बाद मामले की सुनवाई करनी चाहिये—

- (क) तुरन्त (ख) अगले माह
- (ग) पन्द्रह दिवस बाद (घ) तीन माह बाद

39. Subordinate Courts should be despatched quarterly statement to the Distt. Judge on or before of next month--

(a) 3rd (b) 20th

(c) 1st (d) 5th

अधीनस्थ न्यायालय को त्रैमासिक स्टेटमेन्ट, जिला जज को भेज देना होगा, आने वाले माह के तारीख तक—

(क) 3 (ख) 20

(ग) 1 (घ) 5

40. Statistical Registers not include--

(a) Reg. No. 31 (b) Reg. No. 37

(c) Reg. No. 38 (d) Reg. No. 39

परिगणन/सांख्यिकी रजिस्टर में सम्मिलित नहीं है—

(क) रजि: नं० 31 (ख) रजि: नं० 37

(ग) रजि: नं० 38 (घ) रजि: नं० 39

41. Subsidiary Register is--

(a) Account Register (b) Register for suit for rent

(c) Attendance Register (d) Register of Miscellaneous Judicial Case

सम्बन्धित रजिस्टर है—

(क) एकाउंट रजि० (ख) किरायेदारी के वाद सम्बन्धी रजि०

(ग) हाजिरी रजि० (घ) विविध न्यायिक वादों का रजि०

42. How many classes of registers prescribe to be maintained in the Subordinate court--

(a) Four (b) Six

(c) Ten (d) Three

अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कितने प्रकार के रजिस्टर रखे जाने का प्रावधान है—

(क) 4 (ख) 6

(ग) 10 (घ) 3

43. Register No.2 relates--

(a) Title suits (b) Miscellaneous Judicial cases

(c) Suit for Rent (d) Suit for money

रजिस्टर नं० 2 सम्बन्धित है—

(क) हक वाद (ख) विविध न्यायिक वाद

(ग) किरायेदारी वाद (घ) मनी वाद

44. Each Judicial Officer should cause an occasional inspection to ascertain that the stamps have been properly purchased and defaced, at least once in--

(a) Month (b) Half yearly

(c) Quarterly (d) Yearly

प्रत्येक न्यायिक पदाधिकारी को, इस बात को निश्चित करने के लिये कि दाखिल स्टाम्प का उचित रूप से पन्थ एवं निरर्थक किया गया है, अचानक निरीक्षण करना चाहिये कम से कम एक बार—

- (क) माह में (ख) छः माह में
 (ग) त्रैमासिक (घ) वर्ष में

45. For Payment of Travelling and other expences of witnesses the civil court shall not received--

- (a) Money order (b) By challan
 (c) Postage stamps (d) Cash

साक्षी को यात्रा व अन्य भत्ते के भुगतान हेतु दीवानी न्यायालय स्वीकार नहीं होगा—

- (क) मनी ऑर्डर (ख) चालान के माध्यम से
 (ग) डाक टिकट/स्टाम्प (घ) नगद

46. A stranger to the suit has no right to obtain copy of--

- (a) Judgements (b) Private document
 (c) Plaint/written statement after decree (d) Statement of witnesses

जो वाद में पक्षकार न हो (आगन्तुक) को वाद की निम्न दस्तावेज की प्रति प्राप्त नहीं होगी—

- (क) निर्णय (ख) प्राइवेट दस्तावेज (पक्षकारों के)
 (ग) वाद-पत्र/लिखित कथन डिक्री के बाद (घ) इनमें से कोई नहीं

47. The book (Register) in which lists destroyed should be entered is to be preserved for--

- (a) Three years (b) Ten years
 (c) Twelve years (d) Thirty years

रजिस्टर जिसमें नष्ट किये गये वादों/मामलों के रिकार्ड की लिस्ट का इन्ट्राज किया जायेगा उसे रक्षित रखा जायेगा—

- (क) तीन वर्ष (ख) दस वर्ष
 (ग) बारह वर्ष (घ) तीस वर्ष

48. There are no further use of following exceptet one, shall be destroye an such intervals--

- (a) Requisitions (b) Defect reports
 (c) Removal slip (d) Exhibits

निम्न का आगे कोई प्रयोग (जरूरत) नहीं है, एक को छोड़कर, जिसे एक अन्तराल के बाद नष्ट किया जायेगा—

- (क) मांग-पत्र (ख) डिफेक्ट की रिपोर्ट
 (ग) रिमूवल स्लीप (घ) प्रदर्श

49. Every record under Class I shall consist of files--

- (a) A,C and c-1 (b) A and B
 (c) A,B and D (d) A.C-1 and d-1

श्रेणी 1 में आने वाले प्रत्येक रिकार्ड में फाइल्स होंगी—

(क) A, C & C-1

(ख) A & B

(ग) A, B & D

(घ) A, C-1 & D-1

50. Class I includes records of--

(a) Suit for immovable property

(b) Suit relating to Public trusts

(c) Suit for perpetual Injunction and declaration of right

(d) Suit u/o xxxiv of c.p.c.

श्रेणी 1 में रिकार्ड सम्मिलित है—

(क) अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित वाद

(ख) लोक न्यास सम्बन्धित वाद

(ग) स्थायी निवेशाज्ञा और हक की उद्घोषणा का वाद

(घ) वाद अन्तर्गत आदेश XXXIV सी०पी०सी०

Part-B/खण्ड-ख

Short answer type questions/लघु उत्तरीय प्रश्न

Write notes on any **four** of the following. Each one carries **five** marks.

किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है।

1. Suit by or against Government or Public Officers.

सरकार या लोकसेवक के विरुद्ध वाद

2. Process Server

प्रोसेस सर्वर

3. Clearance Day

सफाई दिवस

4. Mode of Recording Evidence by Criminal Court.

क्रि० कोर्ट में साक्ष्य लिखित किये जाने का प्रावधान

5. Provision of Committing a prisoner to Jail

दोष सिद्ध अभियुक्त को जेल भेज जाने संबंधी प्रावधान

6. Exhibits/Criminal Trial

प्रदर्श/आपराधिक विचारण

Part-C/खण्ड-ग

Long answer type questions/दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

Answer any **three** questions. Each question carries **10** marks.

किन्हीं तीन प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

1. Explain Rule relating to 'DECREE' ?

डिक्री से सम्बन्धित नियम को व्याख्या करें ?

2. Explain the Provisio of destruction of record under Criminal Court Rules.

क्रिमिनल कोर्ट रूल्स के अन्तर्गत रिकार्ड के संधारण के परन्तुक को स्पष्ट करें ?

3. How records should be transmitted from one Court to another ? Explain under Civil Court Rules ?

सिविल कोर्ट रूल्स के तहत एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय रिकार्ड भेजे जाने सम्बन्धी प्रावधान को समझाएँ ?

4. Explain the Provision for Return of Exhibits under Criminal, Court Rules ?

क्रिमिनल कोर्ट रूल्स के अन्तर्गत प्रदर्श को लौटाये जाने सम्बन्धी प्रावधान को व्याख्या करें ?

5. Explain Provision about Exparty Injunction under Civil Court Rules.

एकलपक्षीय निषेधाज्ञा के प्रावधानों (दिवानी न्यायालय नियमावली) को स्पष्ट करें ?